

## HEADEND-IN-THE SKY (HITS) NEW GUIDELINES

*The new clauses proposed by the Govt states that platform infrastructure can be shared voluntarily for distribution of TV channels provided signals of HITS platform are distributed to subscribers via the cable operator.*

### INFRASTRUCTURE SHARING BY HITS OPERATOR

Wherever technically feasible, the HITS operator may share the platform infrastructure on voluntary basis, in flexible ways, for distribution of TV channels provided that the signals of the HITS platform are distributed to subscribers through Cable operator only and the encryption of signals, addressability and liabilities are not compromised.

Sharing of its transport stream transmitted by HITS platforms, between HITS operators and MSOs will be permitted.

The HITS platform will not be allowed to be used as teleport for up linking of TV channels.

HITS operator willing to share its transport stream with an MSO, should ensure that MSO has valid written interconnection agreement with the concerned broadcasters for distribution of Pay TV channels to the subscribers,

For sharing of infrastructure by HITS operator with MSO, the operator will be allowed sharing only on Indian controlled satellites. A written permission from Department of Space (DOS) would be required in this regard.

For infrastructure sharing, the new applicant(s) and existing licensee(s) will jointly submit a detailed proposal for infrastructure sharing giving details of infrastructure proposed to be shared and in the manner infrastructure is proposed to be shared as well as roles and responsibilities



## हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) के लिए नयी दिशानिर्देश

सरकार द्वारा प्रस्तावित नये खंड में कहा गया है कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्लेटफार्म इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्वेच्छा से साझा किया जा सकता है, बशर्ते केवल ऑपरेटर के माध्यम से ग्राहकों को हिट्स प्लेटफार्म के सिगनल वितरित किये जाते हैं।

### हिट्स ऑपरेटर द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर की हिस्सेदारी

जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, टीवी चैनलों के वितरण के लिए हिट्स ऑपरेटर स्वैच्छिक आधार पर, प्लेटफार्म के बुनियादी ढांचे को लचीले तरीकों से साझा कर सकते हैं, बशर्ते कि हिट्स प्लेटफार्म के सिगनल केवल केवल ऑपरेटर के माध्यम से ग्राहकों को वितरित किये जाते हैं और सिगनलों के एन्क्रिप्शन, एड्रेसिबिलिटी और देनदारियों से

समझौता नहीं किया जाता है। हिट्स ऑपरेटर और एमएसओ के बीच हिट्स प्लेटफार्म द्वारा प्रसारित इसके ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम की हिस्सेदारी की अनुमति होगी।

हिट्स प्लेटफार्म का इस्तेमाल टीवी चैनलों की लिंकिंग के लिए टेलीपोर्ट के रूप में करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

हिट्स ऑपरेटर जो कि एक एमएसओ के साथ अपनी

ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम साझा करने के लिए तैयार है, उन्हें यह मुनिश्चित करना चाहिए कि एमएसओ ने सब्सक्राइवर्स को पे टीवी चैनलों के वितरण के लिए संबंधित प्रसारकों के साथ वैध लिखित इंटरकनेक्शन समझौता किया है।

एमएसओ के साथ हिट्स ऑपरेटर द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर की हिस्सेदारी के लिए, ऑपरेटरों को केवल भारत द्वारा नियंत्रित सैटेलाइट पर साझा करने की अनुमति होगी। अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) से इस संबंध में लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए नये आवेदकों व मौजूदा आवेदकों को संयुक्त रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर साझा करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसे साझा करने के लिए प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर का ब्योरा दिया जाये और जिस तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर को एनओसीसी, डब्ल्यूपीसी, डॉट को

of each party to Ministry of Information and Broadcasting with a copy each to NOCC and WPC, DoT.

The proposal should contain:

- (i) Acceptance from all concerned stakeholders for sharing the infrastructure in writing.
- (ii) No Objection / Permission for sharing of infrastructure will be subject to:
  - a. Security clearance by Ministry of Home Affairs,
  - b. Clearance of satellite use and transponder sharing from Department of Space,
  - c. Wireless Operating License issued by Wireless Planning and Coordination Wing,
  - d. National Operational Control Centre (NOCC-DOT) certification
- (iii) Copies of the Agreements between the parties sharing the infrastructure with conditions stipulated in the guidelines.
- (iv) An undertaking by both the parties proposing to share the infrastructure that there will not be any violation of the underlying terms and conditions of the licence granted or to be granted.

The sharing of the Satellite resources and Up-linking infrastructure (on voluntary basis) will be allowed with the written permission of MIB and WPC and NOCC, DoT.

To enable sharing of HITS infrastructure and Transport stream, the condition in the existing guidelines relating to hiring of satellite capacity and setting up of the Earth station, will stand modified accordingly to the extent as per these amended guidelines.

To ensure continuity of service to subscribers in the event of any disaster, the operator should have arrangement of sharing disaster recovery system in hot-standby mode.


एक कॉपी के साथ सूचना व प्रसारण मंत्रालय को प्रत्येक पार्टी की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के रूप में साझा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए:

- (i) लिखित में इन्फ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग के लिए सभी संबंधित हितधारकों से स्वीकृति।
- (ii) इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरिंग के लिए कोई अनापत्ति/अनुमति निम्नलिखित होगी:
  - ए. गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी
  - बी. अंतरिक्ष विभाग से सैटेलाइट के इस्तेमाल और ट्रांसपॉण्डर हिस्सेदारी की मंजूरी
  - सी. वायरलेस प्लैनिंग व कॉर्डिनेशन विंग द्वारा जारी वायरलेस संचालन लाइसेंस
  - डी. नेशनल ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी-डॉट) प्रमाणपत्र
- (iii) दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने वाले दलों के बीच समझौतों की प्रतियां।
- (iv) दोनों पक्षों द्वारा आधारभूत संरचना को साझा करने का प्रस्ताव

करते हुए एक आज्ञापत्र कि लाइसेंस के तहत या उसके तहत दिये गये नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

सैटेलाइट संसाधनों और अप-लिंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्वैच्छिक आधार पर) के शेयरिंग को एमआईबी और डब्ल्यूपीसी व एनओसीसी, डीओटी की लिखित अनुमति के साथ मंजूरी दी जायेगी।



हिट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर व ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम की शेयरिंग को सक्षम करने के लिए, मौजूदा दिशा-निर्देशों में सैटेलाइट की क्षमता और अर्थ स्टेशन की स्थापना से संबंधित दिशा-निर्देश काफी हद तक इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किये जायेंगे।

किसी भी आपदा की स्थिति में ग्राहकों के लिए सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटर के पास हाट-स्टैंडबाय मॉड में आपदा रिकवरी सिस्टम को शेयरिंग करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

For CAS & SMS, sharing parties may use common hardware. Details of such arrangement should be intimated to MIB and broadcasters, 30 days in advance. However, the respective HITS operator, MSO/cable operator will be accountable for integrity and security of CAS and SMS data pertaining to the respective operator.

Maintenance of historical logs of data of CAS and SMS for two years will be the responsibility of respective operators individually.

The access to CAS & SMS for audit purpose and also to the authorised officers of Govt. and their representatives will also be the responsibility of the respective operator individually.

For transport stream sharing each operator shall be individually responsible for setting up the system and processes which ensure that the broadcasters can exercise right for disconnection in case of default of payment or due to any other reason in terms of inter connection agreements between the broadcaster and the operator as well as the relevant regulations in place.

### The permission will be granted subject to following conditions:

The adherence and compliance to all the provisions of the rules and guidelines issued by MIB and NOCC and WPC, DoT for grant of licence to the HITS operator will be the responsibility of the both, the existing operator and the new applicant proposing to share the infrastructure, respectively to the extent as required / applicable individually.

Each operator in sharing environment should undertake to ensure the encryption of signals and addressability to all the subscribers in all circumstances and provide requisite access for Audit or for authorized officers of Government wherever demanded.

Accountability of operators is ensured with reference to the SMS, their respective subscribers and to the respective state Governments and local administration as well as to the Central Government on all relevant aspects of Tax collection.

Compliance to TRAI regulation pertaining to CAS/SMS, Finger printing, STB as per Schedule III of the regulation will be the responsibility of the respective operator individually to ensure proper reporting of subscriber's base, checking unauthorised distribution and piracy. ■

Note: Please note that all permissions & approvals and final up-linking permissions in all cases will continue to be taken from NOCC as per existing guidelines, norms and practice.

सीएस व एसएमएस के लिए साझा करने वाली पार्टियां सामान्य हार्डवेयर का उपयोग कर सकती है। ऐसी व्यवस्था का विवरण एमआईवी और प्रसारकों को 30 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि संबंधित हिट्स ऑपरेटर एमएसओ/केवल ऑपरेटर से संबंधित सीएसएस व डेटा की अखंडता और सुरक्षा के लिए जवाबदेह होंगे।

दो साल के लिए कैस और एसएमएस के डेटा के ऐतिहासिक लॉग का रखरखाव व्यक्तिगत रूप से संबंधित ऑपरेटरों की जिम्मेवारी होगी।

ऑडिट प्रयोजन के लिए सीएसएस व एसएमएस तक पहुंच और सरकार के अधिकृत अधिकारी और उनके प्रतिनिधि की भी संबंधित ऑपरेटर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने के लिए, प्रत्येक ऑपरेटर सिस्टम व प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रसारकों के डिफॉल्ट होने के मामले में या प्रसारक व ऑपरेटरों के बीच इंटरकनेक्शन समझौतों के संदर्भ में किसी अन्य कारण के साथ लागू संबंधित विनियम को लेकर।

### अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधिन दी जायेगी:

एमआईवी, एनओसीसी व डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी किये गये नियमों और दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का पालन और अनुपालन, हिट्स ऑपरेटर को लाइसेंस देने के लिए डॉट दोनों की जिम्मेवारी होगी, मौजूदा और नये आवेदक के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का प्रस्ताव आवश्यकता के अनुसार क्रमशः/व्यक्तिगत रूप से लागू।

शेयरिंग वातावरण में प्रत्येक ऑपरेटर को सभी परिस्थितियों में सभी ग्राहकों को सिगनलों व एड्रेसिबिलिटी की एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना चाहिए और जहां भी मांग हो ऑडिट के लिए या सरकार के अधिकृत अधिकारियों के लिए अपेक्षित पहुंच प्रदान करना चाहिए।

एसएमएस के संदर्भ में उनके संबंधित ग्राहकों और संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ केंद्र सरकार को कर संग्रह के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर ऑपरेटरों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

ट्राई अधिनियम संबंधित सीएसएस/एसएमएस, फिंगर प्रिंटिंग, एसटीवी नियमन की अनुसूची के अनुसार सब्सक्राइबर के आधार की समुचित रिपोर्टिंग, अधिकृत विवरण और पाइरेसी की जांच सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संबंधित ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी। ■

नोटः कृपया ध्यान दें कि सभी अनुमतियों व स्वीकृतियों और सभी मामलों में अंतिम अपलिकिंग अनुमतियां मौजूदा दिशानिर्देशों, मानदंडों व प्रथा के अनुसार एनओसीसी से लिया जाना जारी रहेगा।